राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)( ) /मो/आईसीडीएस/2009/1829 जयपुर, दिनांक 15-1-10

परिपत्र

विभाग के पूर्व परिपत्र समसंख्यक पत्र कमांक 246 दिनांक 01.08.07 की निरन्तरता में राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित मिनी आंगनबाडी केन्द्रो की संचालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रदाय मे निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. अभिलेखों का संधारणः – मिनी आंगनबाडी केन्द्रों का अभिलेख पृथक से रखा जावे तथा उसकी रिपोर्टिंग भी पृथक से की जावें। आंगनबाडी केन्द्र की रिपोर्ट में मिनी केन्द्र की रिपोर्ट को सम्मिलित नही किया जावे।
2. पोषाहार परिवहन की व्यवस्थाः– मिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार की आपूर्ति केन्द्र की मांग (जारी इण्डेन्ट) के अनुसार पोषाहार परिवहनकर्ता द्वारा सीधे ही की जावे। जिला/बाल विकास परियोजना अधिकारी मिनी आंगनबाडी केन्द्रों की लोकेशन को ध्यान मे रखते हुए परिवहन रूट चार्ट मे आवश्यक संशोधन करना सुनिश्चित करे।
3. पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था– जिन परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों द्वारा विकेन्द्रीकृत पोषाहार की व्यवस्था प्रभावी है, उनमें मिनी केन्द्रो के लिए पृथक से मांग पत्र जारी किया जावे/पोषाहार की प्राप्ति की जावे। पोषाहार के उत्पादन एवं वितरण मे ईकाई लागत व समूहों के लाभांश का ध्यान रखते हुए मिनी केन्द्र के लिए पृथक स्वयं सहायता समूह से भी अनुबन्ध किया जा सकता है।
4. गरम पोषाहारः– मिनी केन्द्रो पर पृथक से गरम पोषाहार के वितरण हेतु परियोजना अधिकारी दूरी एवं अन्य परिस्थितियों का आंकलन कर इसे स्थानीय स्वयंसहायतासमूह अथवा मातृसमिति के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं के स्तर पर लेने हेतु सक्षम होगें। गरम पोषाहार से संबंधित सभी दस्तावेजों का यथावत संधारण मिनी केन्द्र पर गठित भी विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।
5. रिर्पोटिंग व्यवस्था– बाल विकास परियोजना स्तर से निदेशालय को भिजवाये जाने वाले मासिक प्रगति प्रतिवेदन में आंगनबाडी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाडी केन्द्रों की पूरक पोषाहार वितरण, शालापूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य दिवस आयोजन, वजन दिवस आदि गतिविधियों में पृथक–पृथक दर्शाई जावे ताकि मिनी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं की पृथक से मोनिटरिंग की जा सके।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ मिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.11(3)( ) /मो/आईसीडीएस/2009/1830-38 जयपुर, दिनांक 15-1-10

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. समस्त उपनिदेशक, आईसीडीएस।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
9. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (शिशु)